

(आवेदन का विवरण)

आवेदक की पावती

सेवा का प्रकार : ऑनलाइन

आवेदन की तिथि: 23/05/2026

सेवा का नाम : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

नाम निर्दिष्ट लोक सेवक : राजस्व अधिकारी (बख्तियारपुर)

आवेदन संख्या : EWSCO/2026/353200

आवेदक का नाम : रौशन कुमार (Roshan Kumar)

पिता का नाम : राजेश कुमार

जिला : पटना

प्रखंड : बख्तियारपुर

ग्राम / मोहल्ला : पूरब टोला बख्तियारपुर

थाना : बख्तियारपुर

पति / पत्नी का नाम :

माता का नाम : सुमन देवी

अनुमंडल : बाढ़

नगर परिषद/ वार्ड संख्या : बख्तियारपुर / 07

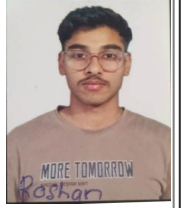
डाकघर : बख्तियारपुर

आवेदक का मोबाइल संख्या : 8540064444

सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि : 18/06/2026

सेवा प्रदान करने की समय अवधि : 21 कार्य दिवस

हस्ताक्षर



नोट :- * समय सीमा के अधीन सेवा प्राप्त नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष 30 दिवस के अंदर अपील दायर किया जा सकता है।

1. प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर के अलावा पंचायत सरकार भवनों पर जालि, आय, आवासीय, राज्य नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (NCL) तथा EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिए जाने तथा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर भी अपना आवेदन दे सकता है और सेवा तैयार हो जाने के पश्चात उसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है।
2. आवेदन पत्र में ई-मेल पता अंकित किए जाने पर प्रमाण पत्र सीधे ई-मेल के Inbox में भी भेजे जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति एवं सेवा तैयार होने की सूचना मोबाइल पर SMS के माध्यम से दी जाती है तथा तैयार सेवा का लिंक ई-मेल/मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिसे click कर प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं।
3. सेवा में देरी या किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत 'जिज्ञासा हेल्पलाइन' के टॉल फ्री नं.-14403 पर की जा सकती है।

अनुसूची-II (प्रपत्र-II)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

मैं रौशन कुमार पिता - राजेश कुमार, माता - सुमन देवी, पत्नी - , गाँव/शहर - पूरब टोला बख्तियारपुर, पोस्ट ऑफिस - बख्तियारपुर, थाना - बख्तियारपुर, प्रखण्ड - बख्तियारपुर, अनुमंडल - बाढ़, जिला - पटना, राज्य बिहार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भूमिहार / Bhoomihar जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो-
(क) केन्द्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।
2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु 350000 है।
3. मेरे परिवार के पास बख्तियारपुर अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।
अथवा
कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (रौशन कुमार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।
4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।
 - i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।
 - ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
 - iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
 - iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

(आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम)

दिनांक:

स्थान:

मुद्रण तिथि :- 23/05/2026